

सूचना देने के आदेश

झुंझुनू, 17 मई : जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कमाण्डर अमीलाल कृष्णियां ने बताया कि वर्ष 1962, 1965, 1971 तथा 01.04.1999 के बाद शहीद हुए सैनिकों की वीरांगनाओं द्वारा किसी पुत्र या पुत्री को गोद लिया गया है, तो वे उसकी सूचना उक्त कार्यालय में अविलम्ब जमा करवाएं।
